

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 804] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 18, 2015/अग्रहायण 27, 1937
No. 804] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 18, 2015/AGRAHAYANA 27, 1937

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 दिसम्बर, 2015

सा. का. नि. 991(अ).—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, आयकर विभाग (समूह 'ग' पद), के भर्ती नियम, 2003 जो कि नोटिस सर्वर से संबंधित है का अधिकांश करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया हो अथवा करने का लोप किया गया है, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड आयकर विभाग में नोटिस सर्वर के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात्—

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ:— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के आयकर विभाग में नोटिस सर्वर (समूह) ग्रुप 'ग', पद भर्ती नियम, 2015 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान:— उक्त पदों की संख्या उनका वर्गीकरण तथा उसमें संलग्न वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों की अनुलग्नक अनुसूची के स्तम्भ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा अन्य अर्हताएँ आदि:—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, शैक्षिक अर्हताएं तथा इससे सम्बद्ध अन्य बातें वह होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (13) में यथा विनिर्दिष्ट होंगी।

परन्तु पदोन्नति द्वारा भर्ती, संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा केवल अपने क्षेत्र के संबंधित संवर्ग के व्यक्तियों में से ही की जाएगी, जैसा कि अनुसूची के कॉलम 11 दर्शाया गया है।

4. निरर्हता:—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति अथवा जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है अथवा

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों में से किसी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार को यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है।

5. विधिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्र सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ यह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग अथवा प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकती है।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर इस संबंध में जारी किए गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष वर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन	चयन अथवा अधयन पद
1	2	3	4	5
1. नोटिस सर्वर	(3432) (2015) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अननुसचिवीय	वेतन बैंड 5200-20200 रुपये- ग्रेड वेतन 2000/- रु.	लागू नहीं होता

सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती के लिए विहित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो
6	7	8	9
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतियुक्ति/समामेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिषतता	प्रोन्नति/प्रतियुक्ति/समामेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतियुक्ति/समामेलन किया जाएगा।		
10	11		
100 प्रतिषत् प्रोन्नति द्वारा	प्रोन्नति वेतन बैंड-1 5200-20200+ ग्रेड पे 1800रु. में ऐसे मल्टी टॉस्किंग कर्मचारी जिन्होंने इस ग्रेड में पांच वर्षों की नियमित सेवा की हो। टिप्पणी: - नोटिस सर्वर की ग्रेड में पदोन्नति क्षेत्रवार की जाएगी। - ग्रेड में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की गणना के प्रयोजन के लिए अंतर्प्रभार स्थानांतरित कर्मचारी द्वारा पुराने प्रभार में दी गई सेवा को नए प्रभार में नहीं गिना जाएगा। जिन्होंने अपने स्वयं के अनुरोध पर, स्थानांतरण के उपरांत ऐसे स्थानांतरण पर पदभार ग्रहण किया है। - जहाँ ऐसे कनिष्ठ कर्मचारियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक अथवा पात्रता सेवा पूरी कर ली हो, उनकी प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे वरिष्ठों के संबंध में भी विचार किया		

	जाएगा, परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष या इनमें से जो भी कम हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, तथा अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है।	
यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है किन्तु उसकी संरचना	भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग से परिस्थितियों में परामर्श लिया जाएगा	
12	13	
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के लिए)	लागू नहीं होता।	
1. प्रधान मु. आ. आ.(सं.नि.प्रा.) द्वारा नामित अपर/संयुक्त आयकर आयुक्त(मुख्या.)	—अध्यक्ष	
2. प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त(सं.नि.प्रा.) द्वारा नामित, आयकर उपायुक्त	—सदस्य	
3. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क के स्थानीय उपायुक्त,	—सदस्य	
4. प्रधान मु.आ.आ.(सं.नि.प्र.) द्वारा नामित एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का अधिकारी जिसका पद आयकर उपायुक्त या संपर्क अधिकारी से कम न हो।	—सदस्य	